(81)

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर, भादरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह कुल्हरि आर ए एस

उनवान

महावीर आदि बनाम काशीराम आदि

दावा बाबत – 53 RTA

मुकदमा नम्बर– 20/15

निर्णय दिनांक :– 9-6-16

वादी की ओर से संदीप गोपारा की व प्रतिवादी की ओर से धर्मपाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-6-16 को मुझ **नरेन्द्रसिह कुल्हरि उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष** अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भादरा के खाता सं. 26/22 की कुल 14.454 हैक्टर खाता सं. 55/49 की 24.301 हैक्टर बारानी कृषि भूमि के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पश्चात गये हिस्सा अनुसार पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जावे तथा कब्जा का रकबा मौजूदा रखा। विभाजन प्रस्ताव के डिक्री का भाग पढा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय तारीख 02-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय के मुद्रा लगाकार दी गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर, भादरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.भाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4....रू. पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.भाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4....रू. पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	
जोड		जोड़	

तहसीलदार (राजस्व) भादरा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)